



## पंचदश बिहार विधान सभा

### एकादश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-04

बुधवार, दिनांक- 11 दिसम्बर, 2013 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 12.20 बजे अपराहन तक ।

[1] माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम् एवं सप्तम् सत्रों के अनागत, अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नोत्तरों की मुद्रित प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

- (i) 01 अल्पसूचित प्रश्न क्रमांक 04 स्थगित ।
- (ii) 18 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iii) 03 तारांकित प्रश्न क्रमांक 138, 142 एवं 157 के उत्तर के लिए समय लिया गया ।
- (iv) 02 तारांकित प्रश्न क्रमांक 145 एवं 152 क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित ।
- (v) 04 तारांकित प्रश्न अपूष्ट ।
- (vi) 123 तारांकित प्रश्न अनागत ।

तारांकित प्रश्न क्रमांक 132 के उत्तर के दौरान भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से विरोधस्वरूप बहिर्गमन कर गए तथा कुछ समय बाद पुनः सदन में आ गए ।

[3] कार्यस्थगन की सूचना :-

माझे सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन से अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[4] अन्य चर्चाएँ :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आर ब्लॉक चौराहे पर विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा दिए जा रहे धरना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिंहकी द्वारा सदन में दिनांक 09.12.2013 को मगध महिला महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था तथा सरकार से वक्तव्य की मांग की गई थी। जिसपर पुनः आज उन्होंने सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की।

प्रभारी मंत्री द्वारा कहा गया कि दिनांक 12.12.2013 को इस विषय पर सरकार वक्तव्य देगी।

#### [5] शून्यकाल :-

शून्यकाल को सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| (i) श्री प्रदीप कुमार      | (ii) श्री जनक सिंह             |
| (iii) श्री मोतीलाल प्रसाद  | (iv) श्री अरुण शंकर प्रसाद     |
| (v) श्री विनोद प्रसाद यादव | (vi) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह |

#### [6] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह का गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित तथा दिनांक 09.12.2013 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा 12.12.2013 तक का समय लिया गया।
- सर्वश्री डा० अच्युतानन्द, अजय कुमार सिंह एवं आठ सभासदों का दिनांक 09.12.2013 से स्थगित पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुआ।
- सर्वश्री सदानन्द सिंह, दुलाल चन्द्र गोस्वामी एवं अन्य चार सभासदों का वाणिज्य-कर विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा प्रभारी मंत्री द्वारा इसके उत्तर के लिए 12.12.2013 तक का समय लिया गया।
- सर्वश्री अवधेश कुमार राय, बैद्यनाथ सहनी एवं अन्य दो सभासदों का ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसके उत्तर के लिए 13.12.2013 तक का समय लिया गया।

#### [7] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय के रूझान की प्रति को सभा पटल पर रखा गया।  
“इस दौरान भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।”
- माननीय सभापति लोक लेखा समिति श्री ललित कुमार यादव द्वारा समिति का 513, 515, 516 एवं 521वाँ प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- माननीय सभापति शून्यकाल समिति श्री अवनीश कुमार सिंह द्वारा समिति का 70वाँ एवं 80वाँ प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

भोजनावकाश के बाद

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

समय 2.00 बजे अप० से 05.35 बजे अप० तक।

#### [8] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

##### (i) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

विधायी कार्य प्रारंभ होने के पहले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह कहा गया कि माननीय मंत्री नगर विकास विभाग सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए वे कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। इसके उपरांत भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।

माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्याम रजक द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरस्थापित किया गया तथा इस पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह का खण्ड 23 एवं 33 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिहिकी द्वारा इसपर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की ओर से इसका उत्तर दिया गया । विधेयक छवनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[9] सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकिशोर यादव द्वारा सामान्य लोकहित के विषय “राज्य में आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं नक्सलवाद से उत्पन्न स्थिति” पर बाद-विवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । बाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| (i) श्री मंजीत कुमार सिंह  | (ii) श्री अब्दुल बारी सिहिकी |
| (iii) श्री सदानन्द सिंह  |                              |
| “माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर सदन की अवधि आज की कार्यवाही के निष्पादन होने तक विस्तारित हुई ।” |                              |
| (iv) श्री अवधेश कुमार राय  | (v) श्री पवन कुमार जायसवाल   |
| (vi) श्री सोमप्रकाश सिंह   | (vii) श्रीमती ज्योति रश्मि   |
| (viii) श्री विनय बिहारी  | (ix) श्री रामाधार सिंह       |

“आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का नाम पुकारने के बाद भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण विरोध प्रकट करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए ।”

माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया ।

“पक्ष रखने के दौरान असंतुष्ट होकर राजद के माननीय सदस्यगण भी सदन से बहिर्गमन कर गए ।”

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाद-विवाद पर विस्तार से उत्तर दिया गया ।

माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ने माननीय सदस्य श्री रामाधार सिंह द्वारा सदन में बाद-विवाद के दौरान कहे गए असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटाने तथा बिहार विधान सभा में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप करने पर नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु आसन से अनुरोध किया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आसन पर आक्षेप को आपत्तिजनक बताते हुए विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की आसन से अपेक्षा की गई ।

आसन द्वारा इस विषय को देखने की बात कही गई ।

[10] निवेदन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज के लिए स्वीकृत कुल-25 निवेदनों को सदन की सहमति से संबोधित विभागों को भेज दिए जाएंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के 11.00 बजे पूर्वांतर के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-11.12.2013

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।